ORIGINAL RESEARCH PAPER

Education

KEY WORDS: संस्कृति, सैद्धांतिक, लैंगिक, पितृसत्तात्मक, सशक्तिकरण, मनोवृति, शिक्षा नीति, राजनीतिक भागीदारी, महिला आरक्षण, व्यावहारिक।

शिक्षा,राजनीति एवं महिला सशक्तिकरण

अजय कुमार राय असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय हाटा कुशीनगर उ.प्र.

ABSTRACT

किसी भी राष्ट्र का विकास तब तक अधूरा है जब तक उस विकास में महिला एवं पुरुष की भागीदारी समान रूप से ना हो, दुर्भाग्य से भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अब भी समान अधिकार नहीं प्राप्त कर पाई हैं।किसी को भी सशक्त बनाने का प्रमुख साधन शिक्षा है तथा किसी भी राष्ट्र की नीति का निर्धारण वहां की राजनीति करती है, ऐसी दशा में शिक्षा व राजनीति दोनों की महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में महिलाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति होने के बावजूद महिला पुरुष साक्षरता में एक विशिष्ट अंतर विद्यमान है तथा महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी के मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है। शिक्षा के विकास के साथ-साथ महिलाओं ने उपलब्धियों के कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा उत्तरोत्तर वे सशक्त हुई हैं, बावजूद इसके भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पुरुष अब भी उन्हें समान स्थान देने में संकोच कर रहे हैं तथा महिलाओं के प्रति लैंगिक अपराध एवं लैंगिक भेदभाव की स्थिति भयावह है। अतः महिला सशक्तिकरण की अवधारणा तभी साकार होगी जब भारतीय समाज एवं भारतीय पुरुष महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार व सम्मान देंगे।

शोध आलेख

भारतीय संस्कृति में सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को उच्च एवं सम्माननीय स्थान दिया गया है, जैसा कि मनु स्मृति में कहा गया है, "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता"। अर्थात जहां नारियों को सम्मान दिया जाता है वहां देवता निवास करते हैं। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, "अयि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोच्यते,जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"। अर्थात राम ने माता एवं जन्म भूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा बताया है। वैदिक काल में भारतीय समाज व्यवस्था में महिला पुरुष समानता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं परंतु उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न होती गई, न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में महिला पुरुष असमानता के उदाहरण प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति सैद्धांतिक रूप से आज भी महिलाओं को पुरुषों से उच्च स्थान प्रदान करती है परंतु व्यवहारिक रूप में भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आज भी महिलाओं का स्थान पुरुषों से बहुत नीचे है, आज भी वे लैंगिक भेदभाव का शिकार हैं। भारतीय समाज पितृ सत्तात्मक समाज है, इसमें स्त्रियों को समान अधिकार से सामाजिक रुप से वंचित रखा गया है, इसी असमानता को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का विकास हुआ। महिला सशक्तिकरण का आशय महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, न्याय एवं अधिकार की व्यवस्था का विकास करना है, जिससे महिला एवं पुरुष के बीच असमानता को हटाया जा सके। महिलाओं के ऊपर वे निर्योग्यताएं जो उन पर केवल इसलिए थोप दी गई हैं क्योंकि वह महिला हैं, को दूर करना ही महिला सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य है। प्रेशर और सेन के अनुसार, "सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है, जिसमें कोई शक्तिहीन अपने जीवन के पहलुओं पर बेहतर नियंत्रण पा लेता है, इसके अंतर्गत भौतिक, बौद्धिक, मानवीय, आर्थिक, विश्वास, मूल्य और मनोवृति सभी शामिल हैं"। शिक्षा मानव जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, अतः महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति का प्राथमिक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन शिक्षा ही है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, "मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है"। अतः शिक्षा ही वह माध्यम हो सकती है जिससे महिलाएं शोषण, अन्याय, असमानता एवं अत्याचार से स्वयं को मुक्त कर सकती हैं। अतः शिक्षा महिला सशक्तिकरण का मूलभूत आधार है। राजनीति अर्थात राज्य की नीति। शाब्दिक अर्थ में राजनीति, राज्य के नियम हैं, जिनसे राज्य व शासन का संचालन होता है। भारत एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था द्वारा शासित राज्य है, जिसमें जनता ही शासक और जनता ही शासित है, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, "लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है"।इस प्रकार से लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी दो प्रकार से समझी जा सकती है, प्रथम राज्य की नीति अर्थात कानून में महिलाओं के लिए किए जाने वाले उपबंध के संदर्भ में, तथा दूसरे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के संदर्भ में, अर्थात उनके मताधिकार एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी। महिला सशक्तिकरण के अन्य महत्वपूर्ण आयाम भी हो सकते हैं, जैसे समाज, संस्कृति, तकनीकी, परंपरा, धर्म एवं आर्थिक आयाम इत्यादि परंतु यह अध्ययन महिला सशक्तिकरण के दो आयामों, शिक्षा एवं राजनीति पर केंद्रित है।

अध्ययन का उद्देश्य महिला शिक्षा की ऐतिहासिकता एवं वर्तमान स्थिति के सापेक्ष महिला सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करना है, साथ ही महिलाओं की राजनीतिक स्थिति एवं महिला सशक्तिकरण के आयामों का भी विश्लेषण करना इस अध्ययन का उद्देश्य है। अध्ययन में शिक्षा के विकास व महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी के अंतर संबंधों का भी विश्लेषण किया जाना सम्मिलित है। एक सामान्य प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों? क्या महिलाएं अशक्त हैं, जो उन्हें सशक्त किया जाए। भारतीय समाज में भले ही महिलाओं को पुरुषों से सैद्धांतिक रूप में ऊंचा स्थान दिया गया है परंतु व्यावहारिक रूप से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं भेदभाव, शोषण एवं अत्याचार का शिकार हैं। महिलाओं के प्रति भारतीय समाज में अनेक प्रकार के लैंगिक अपराध प्रचलित हैं, उदाहरण स्वरूप कन्या भ्रूण हत्या, बालिका हत्या, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, छेड़खानी, दहेज, बालिका व्यापार, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, इत्यादि। उपर्युक्त अपराधों के अतिरिक्त परिवारों में उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि वे बालिकाएं हैं। भारतीय परिवार एवं समाज बालिकाओं की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए अनेक प्रकार के नियमों का निर्माण कर रखा है, जिसके अंतर्गत उनके उठने, बैठने, चलने, हंसने, खेलने इत्यादि को भी नियंत्रित किया जाता है। वहीं परिवार के लड़कों को ऐसे किसी भी नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। विवाह उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को पर्दा करना पड़ता है। मुस्लिम महिलाओं को तलाक, हलाला इत्यादि अनेकों

कुप्रथाओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी दशा में महिलाओं को सशक्त करने की अवधारणा संपूर्ण विश्व के साथ-साथ भारत में भी विकसित हुई। स्वतंत्रता के उपरांत, शिक्षा को विकास एवं सशक्तिकरण का मूलभूत साधन माना गया तथा इसके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप महिला एवं पुरुष साक्षरता एवं शिक्षा में उत्तरोत्तर प्रगति हुई। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में १९५१ की जनगणना में महिलाओं की साक्षरता दर ८.८% थी जो २०११ में बढ़कर ६५.४६% हो गई। १९५१ में महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर की लगभग एक तिहाई थी परंतु २०११ में महिला एवं पुरुष साक्षरता दर में अंतर का यह अनुपात घटा है।२०११ में पुरुष साक्षरता दर जहां ८२.१४% थी वहीं महिला साक्षरता दर ६५.४६% थी। वर्ष १९२१ की जनगणना में महिला पुरुष साक्षरता दर का अंतर और कम हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। निसंदेह महिलाओं की साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है परंतु २०११ की जनगणना में भी महिला तथा पुरुष साक्षरता में लगभग १७% का बड़ा अंतर विद्यमान है। उच्च शिक्षा में महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है ऑल इंडिया सर्वे आफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट २०१९ से पता चलता है कि उच्च शिक्षा में ४८.६४% बालिकाएं एवं ५१.३६ प्रतिशत बालक नामांकित हैं। निसंदेह महिला शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की विविध योजनाओं एवं प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ के संकल्प के अनुसार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु १९८९ में 'महिला समाख्या' कार्यक्रम शुरू किया गया। सन् २००४ में ब्लॉक स्तर पर केवल बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए। वर्ष २०१५ में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम' महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा २०१९ में 'कन्या सुमंगला योजना', 'किशोरी बालिका योजना' का उल्लेख करना समीचीन होगा।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बालिकाओं में शिक्षा के स्तर में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, फिर भी बालक एवं बालिका शिक्षा में अंतर बना हुआ है।

अब यदि बात करें महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों की तो भारतीय संविधान महिलाओं एवं पुरुषों को समान मताधिकार एवं राजनैतिक भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है। लोकसभा चुनाव २०१९ में महिलाओं ने अपने मताधिकार का बढ़-चढ़कर प्रयोग किया, पुरुषों ने ६७.०१% तो वहीं महिलाओं ने उनसे बढ़कर ६७.१७% मतदान किया। लोकसभा में यदि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की चर्चा की जाए तो प्रथम लोकसभा चुनाव १९५१ में कुल ४८९ सीटों में महिला सांसदों की संख्या २४ थी, जो कुल सांसदों की ४.९१% थी। १९५७ में भी यह संख्या २४ ही थीअर्थात ४.८६%। वर्ष २००९ तथा २०१४ के चुनाव में महिला सांसदों का प्रतिशत क्रमश ११.७९% तथा १२.१५% था। वर्तमान लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या ७८ अर्थात १४.४% है, जो अब तक की सर्वाधिक है। इसी प्रकार यदि महिला कैबिनेट मंत्रियों की चर्चा करें तो प्रथम चुनाव के बाद मात्र २ महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी तथा वर्तमान सरकार में भी मात्र ६ महिला कैबिनेट मंत्री हैं। सर्वाधिक महिला मंत्री २००९ के मंत्रिमंडल में थी जिनकी संख्या १५ थी। ७३वे एवं ७४वे संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में ३३% आरक्षण प्रदान किया गया है। लोकसभा एवं विधानसभा में भी ३३% महिला आरक्षण के लिए विधेयक लाए गए थे परंतु राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी के कारण उक्त विधेयक पास नहीं हो पाए। राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए समय-समय पर महिला आरक्षण की आवाज आधे अधूरे मन से उठाते रहते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महिलाओं को संविधान में भले ही समान अधिकार दिया गया है परंतु समानता का अधिकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में अभी बहुत दूर है। लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आंशिक है तथा उसमें भी उनकी भूमिका निर्णायक की नहीं है। यह सच है कि हमारे देश में कई प्रभावशाली महिला नेत्रिया हुई हैं, जैसे इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती आदि परंतु इन लोगों की पार्टियों एवं सरकार में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व आंशिक ही रहा है। आज भी मतदान के लिए बहुत सारी महिलाएं परिवार के पुरुष सदस्यों के निर्णय को ही आधार मानकर मतदान करती हैं। ग्राम प्रधान के रूप में निर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों के पति ही प्रधान के अधिकारों का प्रयोग करते हैं।

स्वतंत्र महिला प्रधानों की संख्या आज भी बहुत कम है, फिर भी कुछ महिला प्रधान स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही हैं जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए उम्मीद जगाती हैं। महिलाओं में शिक्षा का स्तर जैसे-जैसे बढा है, अब वे प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकलने का प्रयास कर रही हैं तथा बहुत बार वे ऐसा कर पाई हैं। महिलाएं कुशल प्रशासक, प्रबंधक, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, इत्यादि के साथ-साथ अब उन क्षेत्रों में भी उपलब्धि हासिल कर रही हैं जिन क्षेत्रों को उनके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। महिलाएं अब बस ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रेन ड्राइवर, लेखपाल इत्यादि जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी भागीदारी कर रही हैं। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन देने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार का निर्णय देकर महिलाओं को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। उपर्युक्त उपलब्धियों के बावजूद अभी महिला तथा पुरुष के बीच रोजगार के क्षेत्र में भारी अंतर में विद्यमान है, वर्ल्ड इकोनामिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट २०२० में भारत का स्थान १५३ देशों की सूची में १२२ वा है। भारत में ८२% पुरुषों की तुलना में केवल २४% महिलाएं ही कामकाजी हैं ।

भारत में महिला पुरुष के अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों तथा महिलाओं के स्वयं की इच्छाशक्ति के कारण महिलाओं ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, इसके बावजूद यदि महिलाओं के प्रति अपराध एवं महिलाओं के शोषण के आंकड़ों पर गौर करें तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। भारत में महिलाओं के प्रति अपराध प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार वर्ष २०१७ में महिलाओं पर अत्याचार के ३५९८४९ मामले दर्ज हुए तथा पिछले ३ साल से यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछली जनगणना के आंकड़ों पर विचार करें तो शिशु लिंगानुपात १९९१ में १००० बालक शिशुओं पर ९४५ बालिका शिशु का था। २००१ में यह घटकर ९२७ तथा २०११ में घटकर ९१८ हो गया, इससे पता चलता है की भारत में बालिका भ्रूण हत्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार वर्ष २०१८ में प्रतिदिन औसतन ९१ महिलाओं ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई तथा साल में कुल ३५३५६ बलात्कार के केस दर्ज हुए। उपर्युक्त आंकड़े तो वह हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं, इसके अलावा महिलाएं प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में घर से लेकर बस, ट्रेन एवं कार्यस्थल पर हर जगह छेड़खानी, छींटाकशी, यौन उत्पीड़न इत्यादि का शिकार होती हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वास्तव में महिलाओं के प्रति अपराध एक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्या है। पुरुषवादी भारतीय समाज आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान करने में

संकोच कर रहा है। आज भी परिवार में निर्णय कर्ता पुरुष ही है। परिवार की संपत्ति पर पुरुष का ही अधिकार है, यही कारण है कि महिलाओं के शिक्षा प्रतिशत एवं रोजगार प्रतिशत में वृद्धि के बावजूद भी महिलाओं का शोषण बढ़ रहा है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का एक कारण यह भी है कि अपराधियों को समय से सजा नहीं हो पाती है। हमारी न्याय प्रक्रिया अपराधियों में भय पैदा करने में असफल सिद्ध हुई है, भारतीय महिलाएं पुरुषों से किसी प्रकार कम नहीं है, बल्कि उनके कुछ गुण, उन्हें पुरुषों से अधिक विशिष्ट बनाते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है तथा महिलाएं अब शिक्षा ग्रहण कर आत्मनिर्भर बन रही है तथापि राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। यह भागीदारी वास्तविक होनी चाहिए, इसके लिए राजनीतिक संस्थाओं एवं दलों में महिला आरक्षण का प्रावधान लागू करना आवश्यक है परंतु इन सबसे बढ़कर भारतीय पुरुषों को महिला पुरुष समानता के सिद्धांत को अपनाना होगा अन्यथा महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त होना कठिन हो जाएगा जो अंततः भारत के हित में नहीं होगा। हमें अपने सामाजिक रूढ़ियों को भी तोड़ना होगा, जिसमें प्रत्येक धार्मिक सामाजिक कार्यों में पुत्र को ही स्थान दिया जाता है। ऐसी मान्यताओं को तोड़ना होगा, पारिवारिक संपत्ति में महिला को समान अधिकार वास्तविक रूप में मिलना चाहिए। महिला सुरक्षा के कानून, दहेज कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए तभी भारत में "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता," का मंत्र चरितार्थ हो पाएगा, अन्यथा ऐसे ही हम एक राष्ट्र के रूप में साल दर साल शर्मिंदा होते रहेंगे और वैश्विक महाशक्ति बनने का सपना दिवास्वप्न मात्र बनकर रह जाएगा।

संदर्भ सूची

1. गुप्ता, कमलेश कुमार (2006): "महिला सशक्तिकरण" बुक एनक्लेव, जयपुर।
2. डॉ. रानी, आशु (१९९९): "महिला विकास कार्यक्रम" इना श्री पब्लिशर्स, जयपुर।
3. डॉ. राजकुमार (२००५): "नारी के बदलते आयाम" अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
4. लाल, रमन बिहारी (२००६): "शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार" रस्तोगी पब्लिकेशंस, मेरठ।
5. रहमान, जनाब: "एंपावरमेंट ऑफ रूरल इंडियन वूमेन" कल प्रजा पब्लिकेशन डेल्ही।
6. अमर उजाला (२२ अक्टूबर २०१९) नई दिल्ली प्रकाशन।
7. द वायर स्टॉफ (१६ फरवरी २०१९ 3:50 a.m.)
8. नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम (२०२०): सम सामयिक घटना चक्र प्रकाशन, प्रयागराज।
9. चौहान, राखी (२०२०): "महिला सशक्तिकरण: स्मृतियों से संविधान तक"कालिंदी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।
10. Https Google websites